में कोई कार्यवाही नहीं होगी, [illegible]
दिनांक 27/12/21 को मोकाम में [illegible]

27/12/21
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर।
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/टीगर/ [illegible]
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 21/2/22 को पेश हो।

21/2/22
पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अधिवक्ता हाजिर।
श्रीमान् पीओ साहब अवकाश/चुनाव/टीगर/ [illegible]
कार्य मे व्यस्त है। पत्रावली वास्ते [illegible]
दिनांक 21/3/22 को पेश हो।

11/3/2022 आदेशगत प्रार्थी के प्रार्थना के क्रम में पत्रावली पिछले तक होकर पेश हुई। वादीगण एवं इतिहास होकर वाद पत्र में कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया। अतः वादी द्वारा कार्यवाही नहीं की वाद पत्र में अग्रे कार्यवाही नहीं चाहते हुए फर्द अहकाम पर वादीगण का Not Press का अंकन किया गया। अब पत्रावली का अवलोकन किया। मनन किया। अधिवक्ता वादी एवं वादीगण गण एवं इतिहास होकर वाद पत्र में कोई कार्यवाही नहीं चाहने का निवेदन किया गया जिसे स्वीकार किया जाता है। वादी द्वारा वाद अन्तर्गत धारा 53,188 IPC का, विरोध में धारा 53,188 IPC का, विरोध में धारा 53,188 IPC का, विरोध में